

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 9/2018-सीमाशुल्क

सा.का.नि.112(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सा.का.नि. 411(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 69/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 को विखंडित करती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]
मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 9/2018-Customs

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sections 91 and 94 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 69/2004- Customs, dated the 9th July 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide*, number G.S.R. 411(E), dated the 9th July, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU]
MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 10/2018-सीमाशुल्क

सा.का.नि.113(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सा.का.नि. 125(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2007-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2007 को विखंडित करती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]
मोहित तिवारी, अवर सचिव